

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं० 51/2019

1. श्री श्योजी पुत्र स्व० श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

वादी

बनाम

1. श्री छीतर पुत्र स्व० श्री श्योराम जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बान्दरसिन्दरी जरिये शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०


प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.10.2019 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी भूमि खाता संख्या नया 60 पुराना 61 ख०नं० 274 रकबा 06-15-00, ख०नं० 287 रकबा 00-05-00, ख०नं० 288 रकबा 08-19-00, ख०नं० 291 रकबा 03-12-00, ख०नं० 438 रकबा 00-05-00, ख०नं० 439 रकबा 06-04-00, ख०नं० 474 रकबा 03-01-00 एवं ख०नं० 525 रकबा 51-04-00 कुल किता 8 कुल रकबा 80-05-00 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित राजीनामा अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमती व्यक्त की। अतः कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है व कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।


क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	छीतर पुत्र श्योराम हि० पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	274/1	0.5461	नहरी-3	53.25	बेंगनी
		288/1	0.7079	चाही-2		
		291/1	0.2912	चाही-2		
		439/1	0.1075	बा-ए		
		439/3	0.3860	चाही-ए 0.3560		
				बा-ए 0.0300		
		474/1	0.2468	बंजर-1		
		525/1	2.5254	बंजर-1 1.2459		
				बा-2 1.2775		
			525/3	1.6187		
	किता 8	6.4296				




उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

शुयोजी पि. शुयोराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन UBI शाखा बान्दरसिन्दरी	274/2	0.5461	नहरी-3	53.24	नारंगी
	288/2	0.3578	चाही-2 0.0768		
	288/4	0.3500	चाही-1 0.2810		
	291/2	0.2913	चाही-1 0.3177		
	439/2	0.4935	बंजर-1 0.0323		
	474/2	0.2467	चाही-2 0.2023		
	525/2	2.5254	बंजर-1 0.0890		
	525/4	1.6187	चाही-ए		
			बंजर-1		
			बंजर-1 1.2459		
		बा-2 1.2775			
		बा-2			
	किता 8	6.4295			
3 छीतर, शुयोजी पि० शुयोराम ब०हि०ब० जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन शुयोजी का हि० 1/2 UBI शाखा बान्दरसिन्दरी	439/4	0.0162	बा-2 (गै०मु० रास्ता)	-	सफेद
	438	0.0405	गै०मु० चाह		
	287	0.0405	गै०मु० चाह		
	288/3	0.0324	बंजर-1 (गै०मु० रास्ता)		
	किता 4	0.1296			

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।


(परसाराम)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)



अन्तिम डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)
व इजलास परसाराम आर.ए.एस.

1. श्री श्योजी पुत्र स्व० श्री श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

वादी

बनाम

1. श्री छीतर पुत्र स्व० श्री श्योराम जाति जाट निवासी मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बान्दरसिन्दरी जरिये शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 51/2019

निर्णय दिनांक :

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.10.2019 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी भूमि खाता संख्या नया 60 पुराना 61 ख०नं० 274 रकबा 06-15-00, ख०नं० 287 रकबा 00-05-00, ख०नं० 288 रकबा 08-19-00, ख०नं० 291 रकबा 03-12-00, ख०नं० 438 रकबा 00-05-00, ख०नं० 439 रकबा 06-04-00, ख०नं० 474 रकबा 03-01-00 एवं ख०नं० 525 रकबा 51-04-00 कुल किता 8 कुल रकबा 80-05-00 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निष्पादित राजीनामा अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, उनके द्वारा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमती व्यक्त की। अतः कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है। कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	छीतर पुत्र श्योराम हि० पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	274/1	0.5461	नहरी-3	53.25	बेंगनी
		288/1	0.7079	चाही-2		
		291/1	0.2912	चाही-2		
		439/1	0.1075	बा-ए		
		439/3	0.3860	चाही-ए 0.3560		
				बा-ए 0.0300		
		474/1	0.2468	बंजर-1		
		525/1	2.5254	बंजर-1 1.2459		
				बा-2 1.2775		
		525/3	1.6187	बा-2		
	किता 8	6.4296				

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जी पि. श्योराम जाति जाट सा. देह खातेदार हेन UBI शाखा बान्दरसिन्दरी	274/2	0.5461	नहरी-3	53.24	नारंगी
	288/2	0.3578	चाही-2 0.0768		
			चाही-1 0.2810		
	288/4	0.3500	चाही-1 0.3177		
			बंजर-1 0.0323		
	291/2	0.2913	चाही-2 0.2023		
			बंजर-1 0.0890		
	439/2	0.4935	चाही-ए		
	474/2	0.2467	बंजर-1		
	525/2	2.5254	बंजर-1 1.2459		
		बा-2 1.2775			
	525/4	1.6187	बा-2		
	किता 8	6.4295			
3 छीतर, श्योजी पि० श्योराम ब०हि०ब० जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन श्योजी का हि० 1/2 UBI शाखा बान्दरसिन्दरी	439/4	0.0162	बा-2 (गै०मु० रास्ता)	-	सफेद
	438	0.0405	गै०मु० चाह		
	287	0.0405	गै०मु० चाह		
	288/3	0.0324	बंजर-1 (गै०मु० रास्ता)		
		किता 4	0.1296		

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/09/2021 को जारी की गई।



(परसाराम)

आर.ए.एस.

उपनिषद अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)